कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद

पत्रांक / 1349 / 2017–18 दिनांक : 27.4.2017

वित्त एवं लेखाधिकारी,
कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक,
इलाहाबाद।

विषयः– शैक्षिक सत्र 2017–18 के मासिक पंचांग वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक सा0 (1) शिविर / 10816–916 / 2015–16 दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2016–17 का मासिक पंचांग संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जनपद के राजकीय एवं माध्यमिक विद्यालयों को मासिक शैक्षिक पंचाग प्राप्त करकर ही उनका वेतन पारित किया जाय। विद्यालयों का प्राप्त कराये जाने वाले मासिक पंचांग की प्राप्ति रसीद अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःउक्तवत्।

26/4/17

(कोमल यादव)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
इलाहाबाद।

तत्काल/आवश्यक

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,
राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त एवं
वित्त विहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय,
जनपद–इलाहाबाद।

पत्रांक/ /2017–18 दिनांक : 15-4-2017

विषयः– **माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक सा0 (1) शिविर/142–264/2017–18 दिनांक 07 अप्रैल, 2017 द्वारा शैक्षिक सत्र 2017–18 में विद्यालय स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु मासिक शैक्षिक पंचांग के अनुसार विगत वर्ष में नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के फलस्वरूप विद्यालयों में पठन–पाठन में सुधार परिलक्षित हुआ है। शिक्षा निदेशक के पत्रांक सा0 (1) शिविर/142–264/2017–18 दिनांक 07 अप्रैल, 2017 द्वारा वर्ष 2017 की अवकाश तालिका में 129 अवकाश तथा 236 कार्यदिवसों का उल्लेख है। निर्धारित कार्य दिवसों पर निम्नांकित विवरणानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. प्रत्येक कार्य दिवस में विद्यालय प्रारम्भ होने से पूर्व ही कक्षा–कक्षों, विद्यालय परिसर एवं शौचालयों की समुचित साफ–सफाई प्रतिदिन की जाय।
2. प्रत्येक कार्य दिवस का प्रारम्भ छात्र–छात्राओं तथा शिक्षकों की सामूहिक प्रार्थना सभा से किया जाय। प्रार्थना सभा स्थल पर आज के सद्विचार, छात्रों में देशभक्ति की भावना जागृत करने हेतु महापुरूषों के जीवन एवं समाचार–पत्रों के मुख्य अंशों से छात्रों को अवगत कराया जाय।
3. विद्यालयों हेतु निर्धारित शैक्षिक पंचांग के अनुसार सदनवार छात्रों का विभाजन करते हुए शैक्षिक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के अन्तर्त वाद–विवाद, भाषण, पोस्टर, निबन्ध प्रतियोगितायें, अन्ताक्षरी तथा स्काउटिंग एवं गाइड कार्यक्रम, विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाय।
4. पर्यावरण संरक्षण के प्रति छात्रों को आकृष्ट किया जाय तथा पर्यावरण विषय से सम्बन्धित पोस्टर प्रतियोगिता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाय।
5. वर्ष में दो बार क्रमशः माह मई एवं जनवरी के प्रथम रविवार को अध्यापक–अभिभावक एसोसियेशन की बैठक आहूत कर विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के शैक्षिणिक, शारीरिक एवं मानसिक स्थितियों से अभिभावकों को अवगत कराया जाय। विद्यालय में शैक्षिक वातावरण के समग्र विकास हेतु अभिभावकों से विचार–विमर्श कर उनकी अभिव्यक्ति भी प्राप्त की जाय।
6. विद्यालय में अध्ययनरत शैक्षिक दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं कमजोर छात्रों की पहचान की जाय तथा कमजोर छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से उनका शैक्षिक एवं मानसिक रूप से विकास किया जाय।
7. विद्यालय में विज्ञान क्लब का गठन कर छात्रों को मॉडल बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय तथा विज्ञान प्रयोगशाला में विषयवार प्रयोगात्मक कार्य हेतु मासिक पाठ्यक्रम का विभाजन किया जाय।

15/4

8. विद्यालय पत्रिका के प्रकाशन पर विशेष बल दिया जाय ताकि छात्रों का साहित्यिक एवं मानसिक विकास हो सके।
9. शिक्षा निदेशक(मा0) के शिविर कार्यालय के पत्रांक शिविर/16220–16531/2016–17, दिनांक 27 अक्टूबर 2016 द्वारा शासनादेश संख्या–1079/15–8–216–3052/2016 दिनांक 21 अक्टूबर 2016 मे वर्णित व्यवस्थानुसार शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु आगमन व प्रस्थान बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से की जाय।
10. विद्यालय में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये जायें। राजकीय विद्यालयों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं बायोमेट्रिक मशीन की व्यवस्था आकस्मिक व्यय मद, ब्वाएज फण्ड से की जाये तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विकास मद से उक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। वित्त विहीन विद्यालयों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं बायोमेट्रिक मशीन की व्यवस्था प्रबन्ध समिति द्वारा अपने निजी स्रोतों से करायी जाय। उक्त निर्देशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में 15 दिवस के अन्दर किया जाय।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराना सुनिश्चित करें जिससे नवीन शैक्षिक सत्र में निर्धारित शैक्षिक पंचांग के अनुसार पठन–पाठन एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संचालन सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके।

भवदीय,

(कोमल यादव)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद।

पृ0सं0/ 642-648 /2017–18 तद् दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
2– शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0, लखनऊ।
3– अपर शिक्षा निदेशक(मा0), शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5– संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
6– प्रबंधक, समस्त माध्यमिक विद्यालयों को इस आशय से कि अपने विद्यालय में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

15/4/17

(कोमल यादव)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद